बजट सत्र

मितानिन योजना में गड़बड़ी 5 एनजीओ के खिलाफ जांच पूरी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 10 मार्च। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि दुर्ग जिले में मितानिन प्रोग्राम के संचालन में अनियमितता के मामले में 5 स्वयं सेवी संस्थाओं के खिलाफ जांच चल रही है। सभी संस्थाओं को हटा दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे ने स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहा कि दुर्ग जिले में वर्ष 2008 से 1 फरवरी 2010 तक दुर्ग जिले में मितानिन प्रोग्राम के संचालन का काम कौन-कौन सी संस्थाओं को दिया गया था। क्या इन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अनियमितता बरतने के कारण उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और इन संस्थाओं को हटाया गया है?

मंत्री अमर अग्रवाल ने स्वीकार किया कि 5 स्वयंसेवी संस्थाओं स्वप्निल एजुकेशन समिति पदमनाभपुर, सहयोगी जनकल्याण समिति गुंडरदेही, सहयोगी मित्र मंडल समिति गंजपारा, ब्रिलियंट समिति शिक्षक नगर एवं जिला साक्षरता समिति सभी दुर्ग के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत पर जांच कराई गई। सभी की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी समितियों को हटा दिया गया है।

भाजपा सदस्य देवजी भाई पटेल के एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री अग्रवाल ने बताया कि रायपुर जिले में अभनपुर, नवापारा, आरंग, भाटापारा, बिलाईगढ़, छुरा, देवभोग, धरसींवा, राजिम, फिंगेश्वर, गरियाबंद, कसडोल, बलौदाबाजार, लवन, मैनपुर, पलारी, सिमगा और तिल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। इनमें चिकित्सकों के 144 पद एवं अन्य स्टाफ के 547 पद स्वीकृत है। वर्तमान में चिकित्सकों के 70 पद एवं अन्य स्टाफ के 419 पद भरे हैं। चिकित्सकों के 74 एवं अन्य स्टाफ के 128 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

हेल्थ उपकरण घोटाला 4 करोड़ का

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 10 मार्च। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा में स्वीकार किया कि स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदी में 4 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है। इसमें पुलिस ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

कांग्रेस सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक के पूरक प्रश्नों के जवाब में उन्होंने बताया कि आईसीसीयू मल्टीपैरामीटर और कलर डॉप्लर की खरीदी में एक करोड़ 17 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी पकड़ी गई है। इसमें डॉ. डी.के. सेन, डॉ. बी.एस. सार्वा, डॉ. बी. देवांगन (उपसंचालक मृत), डॉ. प्रमोद सिंह, एस.एस. पटेल, अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव और सप्लायर सुभाष कुमार लाल एवं केतन दोषी के खिलाफ को पुलिस ने आरोपी बनाया है।

मलेरिया स्टीरप पंप एवं घटिया स्तर के माइक्रोस्कोप की खरीदी में क्रमशः 53 लाख एवं 2 करोड़ 36 लाख की गड़बड़ी सामने आई है। इसमें भंडार लिपिक एस.एस. पटेल, उपसंचालक बी.आर. देवांगन (मृत्यु), राज्य कार्यक्रम अधिकारी ओम कटारिया (मृत्यु), डॉ. प्रमोद सिंह, को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है।

कांग्रेस सदस्य धर्मजीत सिंह के एक अन्य प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा हेतु 14 जून 2009 से स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है। राज्य के बजट में कुल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसमें 45 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 15 करोड़ राज्यांश शामिल हैं। 15 फरवरी तक 6 लाख 29 हजार से ज्यादा लोगों को स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जा चुका है।

उद्योगों को पेड़ काटने की अनुमति, नए पौधे नहीं लगाए

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 10 मार्च। राजस्व मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि रायगढ़ जिले में विभिन्न कंपनियों एवं औद्योगिक इकाइयों को कलेक्टर द्वारा 787 पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। इसके एवज में 2 लाख 66 हजार से ज्यादा नए पौधे लगाना प्रस्तावित किया गया है।

कांग्रेस सदस्य नंदकुमार पटेल के प्रश्नों के लिखित जवाब में श्री अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा अभी नए पौधे रोपित नहीं किए गए हैं। घरघोड़ा तहसील में शासकीय जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर बिना अनुमति के 2 सौ पेड़ कांटने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

देशी से ज्यादा विदेशी शराब की खपत

राजस्व 3 साल में 100 करोड़ बढ़ा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 10 मार्च। वाणिज्यिकर मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि पिछले 4 वर्षों में देशी और विदेशी मदिरा की खपत लगातार बढ़ी है। शराब की खपत बढ़ने के साथ-साथ राजस्व में भी लगभग 100 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे के प्रश्नों के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2006-07 में प्रदेश के सभी जिलों में देशी मदिरा की खपत 2 करोड़ 49 लाख प्रूफ लीटर से ज्यादा हुई थी। जबकि विदेशी मदिरा में स्प्रिट की बिक्री 1 करोड़ 63 लाख और माल्ट की बिक्री 93 लाख 99 हजार प्रूफ लीटर हुई थी। जो अगले वर्ष बढ़कर क्रमशः 2 करोड़ 65 लाख, 2 करोड़ 1 लाख और 1 करोड़ 17 लाख प्रूफ लीटर हो गई। 2008-09 में देशी मदिरा की बिक्री 2 करोड़ 80 लाख प्रूफ लीटर से ज्यादा पहुंच गई। इसी तरह स्प्रिट की बिक्री 2 करोड़ 41 लाख और माल्ट की बिक्री 1 करोड़ 60 लाख प्रूफ लीटर से ज्यादा पहुंच गई।

वर्ष 2009-10 में जनवरी 2010 तक देशी मदिरा की खपत 2 करोड़ 51 लाख प्रूफ लीटर से ज्यादा हो गई थी। जबकि स्प्रिट की बिक्री 2 करोड़ 31 लाख लीटर और माल्ट की बिक्री 1 करोड़ 58 लाख लीटर से ज्यादा पहुंच गई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2006-07 में मदिरा की बिक्री से लगभग ढाई अरब रुपए का राजस्व राज्य शासन को प्राप्त हुआ था। जो 2008-08 में बढ़कर 290 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2008-09 में यह राजस्व 334 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। इस वर्ष 31 जनवरी 2010 तक 324 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका था।

उद्योग लगाने नि:शक्तजनों को मिलेगा 25 लाख तक कर्ज

रायपुर, 10 मार्च। नि:शक्तजनों को उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वित्त और विकास निगम के माध्यम से प्रति हितग्राही अधिकतम 25 लाख रूपए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उपकरण तथा वाहन के लिए दस लाख रूपए, शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु 15 लाख रूपए तथा मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात तथा विचारभ्रम से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए पांच लाख रूपए तक की ऋण राशि भी निगम द्वारा दी जा रही है।

निगम के माध्यम से वर्ष 2005-06 से अब तक प्रदेश के 580 हितग्राहियों को लगभग पांच करोड़ 58 लाख रूपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि नि:शक्त व्यक्तियों के व्यवसायिक पुनर्वास और उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाने वाली व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त और विकास निगम की स्थापना की गयी है।

छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2005-06 से अब तक 580 हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत वर्ष 2005-06 में 92 नि:शक्त हितग्राहियों को 64 लाख 68 हजार रूपए का ऋण दिया गया। इसी तरह वर्ष 2006-07 में 179 हितग्राहियों को एक करोड़ बीस लाख 89 हजार रूपए, 2007-08 में 99 हितग्राहियों को 66 लाख 27 हजार रूपए, 2008-09 में 125 हितग्राहियों को दो करोड़ 31 लाख 35 हजार और 2009-10 85 हितग्राहियों को 74 लाख 70 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी गयी है।

मप्र में जमे कर्मियों को कार्यमुक्त करने की तैयारी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

31 मई तक की मोहलत

रायपुर, 10 मार्च। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मियों को नया कैडर चुनने का विकल्प मिलने से राज्य में कर्मचारियों की कमी दूर होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों सरकारों के बीच समझौते के बाद छत्तीसगढ़ कैडर के करीब 2 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों को 31 मई तक कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।

मप्र-छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुए समझौते के बाद कर्मचारियों-अधिकारियों के बंटवारे का विवाद खत्म होने के आसार हैं। इसके तहत कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार कैडर चुन सकते हैं।

ऐसे कर्मियों के लिए 31 जून तक आवेदन मंगाए गए हैं। इसके पहले कर्मचारियों-अधिकारियों से 28 अप्रैल 2009 तक आवेदन मंगाए गए थे।

इस आदेश के बाद अब ऐसे कर्मचारियों और अफसरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिन्हें पहले ही बंटवारे में छत्तीसगढ़ कैडर आबंटित किया था और उन्होंने राज्य में ज्वाइनिंग नहीं दी है। बताया जा रहा है कि राज्य गठन के समय करीब 2 हजार कर्मचारी-अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर दिया गया था।

मध्यप्रदेश में सन 2000 से काम कर रहे 2 हजार कर्मियों को 31 मई तक कार्यमुक्त करने के आदेश दिया गया है। ताजा आदेश में कहा गया है कि इन कर्मचारियों की अब तक की सेवा को प्रतिनियुक्ति माना जाए। इनकी प्रतिनियुक्ति को निश्चित अवधि तक खत्म किया जाए। उल्लेखनीय है कि बंटवारे के समय बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी सालों से मध्यप्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। कईयों का मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को सेवा को संबंधित राज्य को देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

दो औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालयों के हवाले

रायपुर, 10 मार्च। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कारखाना प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच चल रहे दो औद्योगिक विवादों को निर्णय के लिए श्रम न्यायालयों को सौंपा गया है। इनमें जांजगीर-चाम्पा जिले के प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चाम्पा और हसदेव स्पंज आयरन एवं पावर कर्मचारी संघ के बीच औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय बिलासपुर और रायपुर जिले की सेंचुरी सीमेंट, बैकुण्ठ के प्रबंधक और छत्तीसगढ़ सीमेंट एवं खदान कल्याणकारी श्रमिक संघ ग्राम बहेरसर के बीच औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय रायपुर को निर्णय के लिए सौंपा गया है।

दूधाधारी मठ के निकट करमत्ता भाजी की खेती पर गुजर करने वाले खेतीहर इन दिनों भाजी की कटाई में जुटे हुए हैं। छाया छत्तीसगढ़

श्रमिकों को शादी के लिए भी मिलेगी सरकारी मदद

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 10 मार्च। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसमें शादी-ब्याह, विकलांगता और मृत्यु होने की दशा में परिजनों को सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए श्रम विभाग 10 लाख से अधिक लागत के भवन पर एक प्रतिशत राशि कर्मकार कल्याण मद में वसूल करेगी।

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। इसके तहत राज्यों को कर्मकार कल्याण निधि के गठन के अधिकार दिए गए हैं। इस निधि में 10 लाख से अधिक के निर्माण लागत वाले भवन निर्माताओं से एक फीसदी राशि कल्याण निधि के लिए वसूल करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत न सिर्फ सार्वजनिक बल्कि अन्य शासकीय और निजी भवन निर्माण पर राशि ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य राज्य हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में कर्मकार कल्याण निधि के रूप में भारी भरकम राशि वसूल चुकी है।

बताया गया कि इन राज्यों में श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही उन्हें मदद भी की जा रही है। हरियाणा में कर्मकार कल्याण निधि के मद में 16 सौ करोड़, दिल्ली में 2 हजार करोड़ और मध्यप्रदेश में 8 सौ करोड़ रुपए एकत्र हो चुके हैं। मगर, 8 साल बाद छत्तीसगढ़ में कर्मकार कल्याण निधि के रूप में मात्र डेढ़ करोड़ रुपए ही एकत्र हो पाए हैं। श्रम विभाग इस निधि के लिए राशि वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाने पर विचार कर रहा है। इस निधि के लिए नरेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना और अन्य केंद्रीय योजनाओं से भी एक फीसदी राशि वसूल की जा सकती है। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव विवेक ढांड ने इस सिलसिले में विभागीय अधिकारियों की बैठक भी ली है। सूत्रों के मुताबिक इस निधि के मद में एक साल में करीब 2-3 सौ करोड़ रुपए एकत्र किए जा सकते हैं। इस राशि का उपयोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की शादी, बच्चों की शिक्षा दीक्षा और मृत्यु हो जाने की दशा में उन्हें सहायता राशि प्रदान दी जा सकती है। इसके लिए एक रुपए शुल्क पर मजदूरों का पंजीयन भी कराया जाएगा। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा।

चंद्रशेखर भी आ सकते हैं जसुका की चपेट में : सायल

रायपुर, 10 मार्च। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू पर नक्सलियों से संबंध होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया। भाजपा ने भी अपने नेता को बचाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी समेत कुछ अन्य नेताओं पर नक्सलियों के साथ संपर्क होने का आरोप लगाया।

नक्सल समर्थन के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार प्रफुल्ल झा का एक क्रांतिकारी लेख चंद्रशेखर साहू की किताब में उन्हीं के नाम से छपा, जिसे श्री साहू ने छपाई की त्रुटि कहा। विधानसभा में भी कांग्रेस ने इस मामले को उछालने की पुरजोर कोशिश की। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या नक्सल संबंध का आरोप कृषि मंत्री को भी जन सुरक्षा कानून के दायरे मे ले आएगा? जैसा कि अब तक होता रहा है। मीडिया को जारी एक बयान में पीयूसीएल के छत्तीसगढ् अध्यक्ष राजेंद्र सायल ने कहा कि अब तक की छपी खबरों के मुताबिक श्री साहू भी इसके चपेट में आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पीयूसीएल से जुड़े अलग-अलग संगठनों में लंबे समय तक काम करने वाले प्रफुल्ल झा के साथ जुड़े हुए थे।

राजेंद्र सायल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विशेष जन सुरक्षा कानून इतना व्यापक है कि प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू इसकी चपेट में आ जाएंगे। यदि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होती तो श्री साहू को इस कानून के तहत निरुद्ध कर देती, क्योंकि जो भी तथ्य अखबारों के माध्यम से उजागर हुए हैं वह इस कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त हैं।

जसुका के खिलाफ लोगों से गोलबंद होने की अपील

सायल का कहना है कि पीयूसीएल और वे स्वयं इस कानून को गैर-संवैधानिक, गैर-लोकतांत्रिक और दमनात्मक मानते हैं। इस कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। फिर भी अगर इस कानून के खतरनाक चरित्र का समझना हो तो चंद्रशेखर साहू के मामले को एक उदाहरण के रूप में देखना जरूरी है।

श्री सायल ने अपने जारी बयान में यह भी कहा है कि इस कानून के दायरे में वे अखबार, अखबारों के प्रकाशक और संपादक भी आ जाते हैं जिन्होंने इस कानून के लागू होने के बाद से भाकपा (माओवादी) के प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी और अन्य माओवादी नेताओं के पत्रों को छापा। पीयूसीएल और बाकी मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून का विरोध करते हुए विधि विरुद्ध कार्यकलाप की परिभाषा को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी है। क्योंकि इसके तहत ऐसी तमाम संवैधानिक गतिविधियों को भी लाया गया है जो संविधान के तहत आम नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार व कर्तव्य बनता है। उदाहरण के लिए इस कानून की धारा 2(ड़.) में दर्शाया गया है कि च्विधि विरुद्ध कार्यकलाप का अर्थ है कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा किया जाए भले ही उस कार्य को घटित करके या कहे गए, या लिखे गए शब्दों द्वारा अन्यथा...ज्ज (2) जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा डालने की है। (3) जो विधि के प्रशासन या उसकी स्थापित संस्थाओं तथा उसके कार्मिकों के प्रकाशन में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति उनमें बाधा डालने की है। (4) जो स्थापित विधि तथा उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करने वाला या अवज्ञा का प्रतिपादन करने वाला है या...

श्री सायल ने इसे गैर-संवैधानिक कानून की धारा बताते हुए कहा कि इसी प्रकार इस कानून की धारा 8 के उपखंड एक, दो, तीन और पांच उपखंड का दायरा इतना व्यापक है कि तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, मीडियाकर्मी, वकील, लेखक और सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ताओं को इसके तहत धरदबोचा जा सकता है।

राजेंद्र सायल ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत ही भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन उनके खिलाफ न ही कोई आरोप पत्र पेश कर पाई न ही कोई सबूत। इसी कानून का इस्तेमाल कर मीडियाकर्मी अजय टीजे को 5 मई 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि एक माओवादी के पत्र में उसका नाम आया था। लेकिन उसके 22 माह बाद भी पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश नहीं किया है। इसी तरह अंबिकापुर के वकील सतेंद्र चौबे, दंतेवाड़ा के पत्रकार सांई रेड्डी, रायपुर के लेखक-प्रकाशक असित सेनगुप्ता, बिलासपुर के कपड़ा व्यवसायी व दर्जी के साथ तमाम आदिवासी किसानों को इस कानून के तहत जेलों में ठूंसा गया, जिनपर पुलिस वालों का आरोप है कि वे माओवादियों को भोजन-पानी देते थे।

राजेंद्र सायल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को इस कानून के खिलाफ गोलबंद हो जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह के कानून का उपयोग लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए किया जाता रहा है।

स्वास्थ्य

एन्जियोग्राफी एवं एन्जियोप्लास्टी
करवाने से पहले कैथ लैब मशीन की गुणवत्ता अवश्य परख लें
छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ फ्लैट पैनल डिजिटल कैथ लैब
जब कीमत वही तो सबसे अच्छा क्यों नहीं
अपोलो बी.एस.आर. हॉस्पिटल्स
जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई
फोन : 4085100, 99811 01111
Website : www.apollobsr.com

गुरुनानक अस्पताल
उपलब्ध सुविधाएं
- 24 घंटे आपात सेवा
- आई.सी.यू
- दिमाग व स्पाइन की सामान्य व माइक्रोस्कोपिक सर्जरी
- सिर की चोट
- रीढ़ की हड्डी की चोट
- ब्रेन ट्यूमर
- स्पाईनल ट्यूमर
- सिर में खून का थक्का
- सिर में पानी (बड़ा सर)
- सिर दर्द, चक्कर, लड़खड़ाहट
- मिर्गी, लकवा
- पीठ में फोड़ा
- पीठ दर्द, कमर दर्द, झुनझुनी
- स्लिप डिस्क, दिमाग व रीढ़ की टीबी

सी-49, सेक्टर-1, रेल्वे क्रासिंग के बाद दूसरा मोड़, देवेन्द्र नगर, रायपुर
फोन : 0771-4270184, मो. नं. 98931-12403, 98262-08485

फिक्स दांत केप
सिरेमिक 24 से 48 घंटे में
पीले दाँत करें सफेद चमकीले ब्लीचिंग द्वारा 1 घंटे में
पायरिया
टेढ़े मेढ़े दाँत
सिंगल सिटिंग में रूट केनाल ट्रीटमेंट
डॉ. आशीष अग्रवाल
दंत रोग विशेषज्ञ - कास्मेटिक डेन्टल सर्जन
विद्या डेन्टल क्लीनिक

वेट मैनेजमेंट स्किन केयर
वजन घटायें / बढ़ायें
बेस्ट बॉडी शेप, हाई एनर्जी, पेट / नितम्ब चर्बी
FED-UP of GYM / EXERCISE / DIETING
EAT YOUR FAVOURITE FOOD
PROTECT from LIFESTYLE DISEASES
IMPROVE YOUR WELLBEING
- SKINCARE & EYES DARK CIRCLES
- CHILDRENS' HEALTH & GROWTH
विनोद सक्सेना
NUTRITION, WEIGHT, BEAUTY & WELLNESS CONSULTANT
CHECK-UP / CONSULTATION
COUNSELLING BY APPOINTEMENT
Lifestyle Consultants
Multi Speciality Hi-tech Center
15/C रवि नगर (ईएसी कॉलोनी) कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर
फोन- 2437290, मो. 98263-15767

बीमारी से बचाव किसी भी इलाज से बेहतर,
अपना ख्याल रखना

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 0771-4025006, मो. 9300717232